



# कार्यालय नगर निगम देहरादून

दूरभाष-0135&2655620, 265352, 2658204 फ़ैक्स-0135&2651061

वेबसाइट-www.nagarnigamdehradun.com

ई-मेल: nagar\_nigam2008@yahoo.com, nagarnigam.ddn@gmail.com

टोल फ्री नं० - 1800-180-4153, कन्ट्रोल रूम - 1800-180-4206



पत्रांक संख्या 2501/ARMCIS-2021

दिनांक 01/04/2021

	कार्यालय नगर निगम, देहरादून	
दूरभाष - 0135&2655620 265352 2658204	वेबसाइट - www.nagarnigamdehradun.com	
ईमेल - nagarnigam.ddn@gmail.com		
रामनगर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) को किराये पर देने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण		
<p>कोविड - 19 के पश्चात आत्मनिर्भर भारत के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना की शुरुआत की गई है। नगर निगम देहरादून के जेएनएनयूआरएम उपघटक बीएसयूपी अन्तर्गत रामनगर मलिन बस्ती में रिक्त 70 आवासों / ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को किफायती आवासीय सुविधा हेतु किराया पर व्यापार संघ, औद्योगिक संघ, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान जो अपने संस्थान में कार्यरत श्रमिकों, नर्स, वार्ड बाय, विद्यार्थी आदि के निवास हेतु रियाती दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के इच्छुक हों, से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव हेतु आवेदन प्रारूप एवं नियमावली किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अथवा वेबसाइट <a href="http://www.nagarnigamdehradun.com">www.nagarnigamdehradun.com</a> से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को अपराह्नान 4 बजे तक सीएलटीसी नगर निगम कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।</p>		
नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।		

## प्रतिलिपि :

1. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखंड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संपादक, दैनिक समाचार पत्र आशा / द इंडियन रिकॉर्ड को नगर निगम देहरादून हेतु अनुमन्य दरों पर देहरादून सिटी संस्करण में विज्ञापित प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
5. श्री मनीष पंत, आईटी आफिसर को निविदा को कार्यालय वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त  
नगर निगम, देहरादून।



Ministry of Housing and Urban Affairs  
Government of India

# रामनगर बी०एस०यू०पी० अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए०आर०एच०सी०) दिशानिर्देशिका

शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए सुविधा जनक रहन - सहन

नगर निगम देहरादून के 70 आवासों को किफायती किराये व्यवस्था पर व्यापार संघ, औद्योगिक संघ, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान जो अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों, पथा विक्रेता, रिक्शा चालको, नर्सों, वार्ड बाय को रियाती दरों आवास उपलब्ध कराने हेतु मासिक किराया निर्धारण तथा किराये हेतु दिशा-निर्देशों

## नगर निगम, देहरादून

दूरभाष - 0135&2655620, 265352, 2658204 फैक्स - 0135&2651061

वेबसाइट - [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com)

ई-मेल - [nagar\\_nigam2008@yahoo.com](mailto:nagar_nigam2008@yahoo.com), [nagarnigam.ddn@gmail.com](mailto:nagarnigam.ddn@gmail.com)

टोल फ्री - 1800.180.4153, कन्ट्रोल रूम - 1800-180-4206

“सरकार ने शहरों में प्रवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए जिस रेंटल स्कीम की घोषणा की है उसमें आप सभी साथियों को मैं सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूँ..”

— नरेन्द्र मोदी, मा0प्रधानमंत्री

## अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0) के संचालन एवं रखरखाव हेतु नियम एवं शर्तें

प्रस्तावना – कोविड – 19 के पश्चात आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत का आवाहन किया गया। इस विजन को मध्यनजर रखते हुये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0) योजना की शुरुआत की गई है। जेएनएनयूआरएम के उपघटक बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा रामनगर मलिन बस्ती में निर्मित 70 आवासीय इकाईयों/ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तथा शहरी विकास निदेशालय के File No.050106-6HFA/G(05)/1/2020-Section 6 – Urban Development Directorate Feb-03-2021 तथा पत्रांक संख्या 4281/813/एच0एफ0ए0/एआरएचसीएस/2020-21 दिनांक 27/02/2021 के अनुपालन के क्रम में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0) में परिवर्तित कर शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए सुविधा जनक रहन – सहन के साथ किफायती आवास किराया पर देने हेतु नगर निकाय द्वारा पहल की जा रही है। इस योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से नगर निकाय देहरादून द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशानिर्देशानुसार जेएनएनयूआरएम रामनगर मलिन बस्ती में खाली पड़े 70 आवासों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित किया गया है। आवासों को नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से मरम्त कर रहने योग्य बनाया जायेगा जिस पर अनुमानित धनराशि रूपये: 23.00 लाख शब्दों में (रुपये तेईस लाख) का व्यय प्रस्तावित है। रहने योग्य बनाने के उपरांत रिक्त आवासों को लक्षित समूहों को किफायती आवासीय सुविधा हेतु किराया पर उपलब्ध की जायेगी। नगर निगम पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिकता संस्थानों का चयन करना है। ऐसे संस्थानों में व्यापार संघ, औद्योगिक संघ, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान जो अपने संस्थान में कार्यरत श्रमिकों, पथ विकेंता, रिक्शा चालकों, नर्सों, वार्ड बाय, विधार्थी आदि के निवास हेतु रियाती दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में इच्छुक हो। ऐसे संस्थानों को नगर निगम द्वारा निर्धारित नियमावली के तहत किराये पर आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। ए0आर0एच0सी0 परियोजनाओं में बुनियादी नागरिक सुविधाये जैसे पानी, स्वच्छता, सीवरेज/स्पैटेज, जल निकासी, आन्तरिक मार्ग, बिजली आदि के साथ आवश्यक सामाजिक और व्यवसायिक संरचना को आवश्यकतानुसार उपलब्ध किया जायेगा। (संलग्नक – दिशानिर्देश पताका – क)

### **ए0आर0एच0सी का उद्देश्य –**

शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए जीवंत स्थायी समावेशी और कार्यस्थल के समीप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अवसर को उपलब्ध करना है। इसके साथ ही रेंटल हाउसिंग में समस्त नागरिकों सुविधाओं के साथ गरिमापूर्ण तरीके से रहने की व्यवस्थाये रहेंगी।

### **क्रियान्वयन रणनीति–**

ए0आर0एच0सी का क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार रणनीति प्रस्तावित किया जाना है।

- 1 केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित जे0एन0एन0यू0आर0एम – बी0एस0यू0पी0 के मौजूदा खाली आवासों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0मोड) के अन्तर्गत या सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में परिवर्तित कर इनका उपयोग किया जाना।
- 2 रामनगर मलिन बस्ती में 70 आवास खाली हैं इन आवासों को रहने योग्य बनाने हेतु अनुमानित रूपये: 23,08,325 लाख की धनराशि का व्यय है जिसको नगर निगम देहरादून अपने संसाधनों से व्यय कर शहरी प्रवासियों को देने हेतु संस्थान का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा।  
(संलग्नक – आवासों के मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य हेतु अनुमानित प्राक्कलन पताका – ख)

3. सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी स्वयं की खाली भूमि पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का निर्माण और रख रखाव करना।

### किराया का निर्धारण –

1. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में ए0आर0एच0सी0 रामनगर का प्रारम्भिक किराया स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना स्थल के स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार किराया दरें दो कमरे के सेट जिसका कार्पेट एरिया 25.01 वर्ग मि0 है, इसका किराया का निर्धारण 3500-/(तीन हजार पांच सौ मात्र) तथा रूपये – 500 कुल – 4000 (चार हजार मात्र) मासिक किराया निर्धारित है जिसमें दैनिक साफ-सफाई व्यवस्था सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त चयनित संस्थान द्वारा पानी तथा विद्युत का शुल्क उपभोग के आधार पर स-समय देय होगा। किराया सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव पर माननीय बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त लागू किया जायेगा। नगर निकाय द्वारा आरम्भ में निर्धारित किराया दरों में 08 प्रतिशत की दर से द्विवार्षिक बढ़ोत्तरी की जायेगी जो अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होकर 5 वर्ष की अवधि में कुल मिलाकर अधिकतम 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रक्रिया का पालन पूरे अनुबन्ध की अवधि तक सुनिश्चित किया जायेगा। लाभार्थी का रहने का समय 11 माह हेतु होगा तथा किराया सहित अन्य देयों के समय से भुगतान करने की स्थिति में आपसी सहमति से अनुबन्ध को बढ़ाया जा सकता है।

### लक्षित समूह/लाभार्थी –

1. एआरएचसी के अन्तर्गत लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के शहरी प्रवासी/गरीब होंगे जिनमें श्रमिक, शहरी गरीब (पथ विक्रेता, चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक कामगार एवं बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थाओं, आतिथ्य क्षेत्र के कामगार, दीर्घकालिक पर्यटकों/आगंतुकों, छात्रों या किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ काम करने वाले प्रवासी शामिल होंगे।
2. सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा और कामकाजी महिलायें, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, श्रेणी के अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

### संचालन और रखरखाव की शर्तें –

1. संस्था एआरएचसी परियोजनाओं के सभी वित्तीय लेन-देन के लिए एक समर्पित एस्को खाता खोलेंगे। इन परियोजनाओं के किराए के रूप में अर्जित आय को संबंधित संस्था द्वारा अनुरक्षित एक अलग खाते में रखा जाएगा। खाते का प्रबंधन निर्धारित लेखांकन प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
2. एआरएचसी में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सामान्य टूट-फूट से उत्पन्न सभी नियमित और दैनिक रखरखाव के मुद्दों का निस्तारण सम्बन्धित संस्था की जिम्मेदारी होगी और इसका व्यय किराये के माध्यम से जुटाए गए राजस्व से पूरा किया जायेगा।
3. संस्थान में जो कार्मिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है उनके कार्य स्थल के समीप आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारा संस्थान प्रतिबद्ध है।
4. कार्मिकों की संख्या ज्यादा होने की स्थिति में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय सुविधा नगर निकाय को विश्वास में लेकर किया जायेगा।
5. संस्थान द्वारा अनुबंध की सभी नियमों तथा शर्तों का पूरा पालन किया जायेगा।

6. संस्थान द्वारा आवासीय इकाईयों का उपयोग केवल आवासीय परिसर के रूप में किया जायेगा। अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय अवधि में संस्थान द्वारा आवास को खाली कर दिया जायेगा।
7. प्रति आवास किराया तय समय पर नगर निकाय द्वारा दिये गये खाता संख्या में जमा कर दिया जायेगा।
8. निश्चित समयावधि के उपरांत संस्थान द्वारा आवासीय परिसर को अनुबन्ध के साथ संलग्न संसाधनों की सूची अनुसार बिना नुकसान किये नगर निकाय को हस्तांतरण कर लिया जायेगा।
9. संस्थान द्वारा आवासीय परिसर में अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जायेगी।
10. संस्थान द्वारा कुड़े प्रबन्धन में सहयोग करते हुये अपने कार्मिकों को कूड़े को पृथकीकरण कर नगर निगम के डोर-टू-डोर वाहन को देने हेतु प्रेरित करेंगे। इसके अतिरिक्त कूड़ा नदी एवं अन्य खुले स्थान पर नहीं डाला जायेगा।
11. संस्थान द्वारा विद्युत एवं पानी का बिल अलग से उपयोग के आधार पर ससमय देय होगा। संस्थान द्वारा आवासीय परिसर की पर्यावरणीय स्वच्छता तथा सुंदरता के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेगा।
12. आवासीय परिसर को स्वच्छ व सुंदर रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
13. आवासीय परिसर के समस्त संसाधनों को सुरक्षित रखना वहां रह रहे लोगो तथा चयनित संस्थान का दायित्व होगा।
14. आवासीय परिसर में धूम्रपान एवं मदिरा पान निषेध रहेगा।
15. नगर निगम को निर्धारित किराया समय पर भुगतान करना होगा।
16. प्रारम्भ में निर्धारित किराया को प्रत्येक दो वर्ष में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
17. आवास किराया पर देने हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन किया जायेगा।
18. आवासीय परिसर को अनुबन्ध में वर्णित समयावधि में खाली करना होगा।
19. आवासीय परिसर की दैनिक साफ-सफाई सुनिश्चित की जायेगी।
20. आवासीय परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पाये जाने पर बिना कारण के नोटिस देकर नगर निगम के पास कभी भी खाली करवाने का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. विवाद की स्थिति में आपसी सहमति से उसका निपटारा किया जायेगा।
22. गाइड लाइन के अनुसार चयनित लाभार्थी स्वयं आवास पर रहेगा किसी अन्य को देने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
23. उत्तराखण्ड के मूल निवासी को प्राथमिकता प्रदान करते हुये प्रवास की सुविधा दी जायेगी।
24. चयनित संस्थान अपने कार्मिकों को आवास किराया हेतु आवंटित करने के उपरांत रिक्त आवासों पर गाइड लाइन के अनुसार अन्य पात्र लाभार्थियों का चयन कर सकता है।
25. चयनित संस्थान को एक माह का किराया बन्धक धनराशि के रूप में रखना होगा जिसको अनुबन्ध पूरा होने पर निर्गत किया जा सकेगा।
26. अनुबन्ध की अवधि पूरी होने पर आवासीय परिसर सुरक्षित इन्वेंटरी सूची के अनुसार नगर निकाय को हस्तान्तरित किया जायेगा। अग्रिम किराया बैंक गारंटी के रूप में रखी जायेगी। (संचालन एवं अनुरक्षण हेतु संलग्नक पताका - ग)

#### संस्थान के चयन हेतु मापदण्ड -

आवासीय परिसर को किराया पर देने हेतु निम्न मापदण्ड होंगे

1. संस्थान का नाम एवं पूरा विवरण संलग्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।
2. संस्थान का कार्य क्षेत्र अथवा कार्यालय नगर निगम देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत होना आवश्यक है।

3. संस्थान पंजीकृत होना चाहिए। जिसका पंजीकरण सख्खा प्रस्ताव के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. संस्थान का प्रकृति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत होना चाहिए।
5. संस्थान द्वारा प्रवासियों/शहरी गरीबों/अपने संस्थान में कार्यरत आर्थिक रूप से कमजोर कार्मिकों के कल्याण हेतु किये गये कार्यों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
6. संस्थान की तीन वर्ष की बैलेंस शीट होना आवश्यक है।
7. एक माह के अग्रिम किराया देने हेतु सहमति पत्र।
8. संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिनके पास आवासीय सुविधा नहीं है, को प्राथमिकता देते हुये चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
9. निधिदा में प्रतिभाग करने हेतु धरोहर राशि के रूप में कुल किराया का 2 प्रतिशत राशि रुपये - 70000 (सत्तर हजार) की धनराशि वरिष्ठ वित्त अधिकारी के नाम पर सी0डी0आर0/बैंक गारंटी के रूप में देय होगा।
10. चयन उपरान्त संस्थान को 3 प्रतिशत Performance Guarantee बैंक गारंटी के रूप में धनराशि जमा करनी होगी। (संलग्नक - योजना में आवेदन हेतु प्रारूप विस्तृत पताका - घ)

#### संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन -

आवासीय परिसर का संचालन करने हेतु चयनित संस्थान को 1 प्रबन्धक (आवासीय परिसर में आवश्यक व्यवस्था नात्मिक किनाया लेना तथा अनुबन्ध की प्रकिया सम्पादित करना इत्यादि) इसके अतिरिक्त 02 सुरक्षा कर्मी तथा 1 बहुउद्देशीय कर्मी की आवश्यकता होगी। मानव संसाधन नगर निकाय द्वारा उपलब्ध किया जायेगा।

#### निगरानी और मूल्यांकन -

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय /राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. निकाय द्वारा एआरएचसी परियोजना का विवरण किराया अनुबंध (संस्थानों के साथ) की स्थिति को समय-समय पर वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
3. एआरएचसी की सोशल ऑडिट कराएगा। सोशल ऑडिट का व्यय मौजूदा पीएववाई-यू निधियों से पूरा किया जाएगा।
4. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संस्थान संबंधित यूएलबी को त्रैमासिक आधार पर प्रोजेक्ट अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5. एआरएचसी की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं और शहरी मिशनों जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन अटल नदीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) उज्ज्वला उजाला, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) कौशल भारत मिशन के साथ प्रासंगिकता और आवश्यकता के आधार पर समाभिरुपता किया जाएगा।
6. इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाओं को इस योजना के साथ समाभिरुपता किया जाएगा। इन योजनाओं/मिशनो के साथ समाभिरुपता करने से सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा।
7. नगर निकाय द्वारा सम्बन्धित अनुभाग योजना का अनुश्रवण करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी सी0एल0टी0सी0 द्वारा भी योजना की निगरानी की जायेगी।
8. आवासीय परिसर की निगरानी हेतु सी0सी0टा0वा0 कमरे लगाय जायेंगे।

**अपवाद –**

यदि परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों में कोई संशोधन किया जाना या रियायत दिया जाना अपेक्षित योजना के गाइड लाइन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा। एआरएचसी से संबंधित सभी व्याख्या के लिए दिशानिर्देशों मुख्यतः मान्य होगा।



H/3680/2021

प्रेषक,

सहायक निदेशक  
शहरी विकास निदेशालय  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
देहरादून, हरिद्वार।

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत  
लढ़ौरा/मसूरी/नैनीताल/जसपुर/लालकुंआ/

विषय :- "जे०एन०एन०यू०आर०एम०" के उपमिशन बी०एस०यू०पी० व आई०एच०एस०डी०पी० के अवशेष खाली पड़े आवासों को Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) के अंतर्गत परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक N-11022 S1/2020-HFA-V-UD/FTS-9088338 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि Union Cabinet, GoI द्वारा जे०एन०एन०यू०आर०एम०" के उपमिशन बी०एस०यू०पी० व आई०एच०एस०डी०पी० के अवशेष खाली पड़े आवासों को Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) में परिवर्तित किये जाने का निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतिथि तक आपके द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आपके नगर निकाय में जे०एन०एन०यू०आर०एम०" के बी०एस०यू०पी० व आई०एच०एस०डी०पी० के अवशेष खाली पड़े आवासों का विवरण निम्नवत्त है-

SN/310

नगर आयुक्त

क्रम सं०	निकाय	खाली पड़े आवासों की संख्या
1	नगर निगम, देहरादून	70
2	नगर निगम, हरिद्वार	17
3	नगर पालिका परिषद्, जसपुर	84
4	नगर पंचायत, लालकुंआ	100
5	नगर पालिका परिषद्, ल	240
6	नगर पालिका परिषद्, मसूरी	32
7	नगर पालिका परिषद्, नैनीताल	70
	योग	526

युवक  
10/02/2021

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि Union Cabinet, GoI के लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त समस्त खाली पड़े आवासों को Affordable Rental Housing

Complexes(ARHCs) में परिवर्तित करते हुये Affordable Rental Housing Complexes(ARHCs) योजना की दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी विस्थापित/गरीबों को नियमानुसार आवास आवंटित कर निदेशालय को प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by VINOD  
KUMAR SUMAN

Date:Wed Feb 03 17:50:4  
2021

Reason: Approved

(विनोद कुमार सुमन)

निदेशक

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ ।
2. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/उधमसिंहनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवासों को Affordable Rental Housing Complexes(ARHCs) में परिवर्तित कर शहरी विस्थापित/गरीबों को आवंटित कराने का कष्ट करें।
3. संबंधित सी0एल0टी0सी0 विशेषज्ञ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि Affordable Rental Housing Complexes(ARHCs) के संचालन में नगर निकाय को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार सुमन)

निदेशक।

E- mail/Speed Post/By hand

**शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।**

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून-248001

E mail – pmayurbanuk@gmail.com, दूरभाष – 0135-2749541, फ़ैक्स. 0135.-2749542

पत्रांक 4281 813/एच0एफ0ए0/ए0आर0एच0सी0एस0/2020-21

दिनांक 27.02.2021

संवा में,

नगर आयुक्त  
नगर निगम देहरादून/हरिद्वार  
उत्तराखण्ड

अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका / पंचायत  
जसपुर, लालकुआ, लंडौरा, मसूरी तथा  
नैनीताल, उत्तराखण्ड

विषय – जेएनएनयूआरएम अंतर्गत निर्मित व रिक्त आवासों को Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) में प्रयोग किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय कार्यालय पत्र संख्या.1/3680/2020 दिनांक 03/02/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जे0एन0एन0आर0यू0एम0 अंतर्गत निर्मित व रिक्त आवासों को Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) में प्रयोग किये जाने के सम्बंध निर्देश निर्गत किये गये थे। तत्क्रम में आवासों को ARHCs में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

1 भारत सरकार की Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) के दिशा-निर्देशों के अनुसार ARHCs का क्रियान्वय निम्नवत् दो प्रकार से किया जा सकता है -

- नगर निकाय राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालकर लाभार्थी/संस्थाओं का चयन करें जिसमें प्राथमिकता संस्थानों को दी जाये, ऐसे संस्थानों यथा व्यापार संघ, औद्योगिक संघ, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान जो अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों, पथ विक्रेता, रिक्शा चालकों, नर्स, वार्ड बाय आदि के निवास हेतु रियाती दरों पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने में इच्छुक हो। नगर निकाय उक्त संस्थान से मासिक किराया अन्य शर्तों का निर्धारण कर उक्त समस्त आवास किराये पर संस्था को उपलब्ध कराये और निर्धारित मासिक शुल्क संस्थान से प्राप्त करें।

SMA

06/03  
नगर आयुक्त

Received  
Munim  
10/3/2021



- यदि इस प्रकार की संस्थाएं निकाय से सम्पर्क नहीं करती हैं तो निकाय राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित निकालकर पथ विक्रेताओं, दैनिक श्रमिकों, रिक्शा चालकों, दीर्घकालिक पर्यटकों/आगंतुकों, विद्यार्थियों, निर्माण श्रमिकों इत्यादि को आवास उपलब्ध करा सकती है।
  - नगर निकाय आवासों को किराये पर देने हेतु आर0एफ0पी0 (जोकि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है) के माध्यम से, संस्थाओं का चयन कर सकती है। आरएफपी में अनुमानित मासिक किराये का आगणन, भवनों को रहने योग्य बनाये जाने पर होने वाले एकमुस्त खर्च का आगणन कर कंसेसियनार का चयन सुनिश्चित किया जाये, निकाय चयनित कंसेसियनार से आर0एफ0पी0 में निर्धारित धनराशि के अनुसार मासिक किराया प्राप्त करेगी। निकाय अपने बोर्ड से इसका अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- 2 निकाय द्वारा सर्वप्रथम रिक्त आवासों को Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) में प्रयोग किये जाने हेतु आवासों का उचित किराया निर्धारित किया जाना होगा, जिसका अनुमोदन निकाय के बोर्ड बैठक से कराया जाना होगा। किराया निर्धारण किये जाने हेतु निकाय को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा-
- किराया का निर्धारित इस प्रकार किया जाये जिसमें परिसर के Common Area की दैनिक सफाई, कूड़ा प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, जल मल की निकासी की व्यवस्था आदि हेतु आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति भी उक्त आवासों से प्राप्त होने वाले किराये की धनराशि से की जा सके।
  - आवासों को वार्षिक रखरखाव पर होने वाली व्यय धनराशि का भी ध्यान किराया निर्धारण करते समय रखा जाये।
  - रेंटल आवासों में लाभार्थी के रहने की अवधि एवं किराया निर्धारित समय पर प्राप्त करने तथा निर्धारित अवधि के उपरांत आवास को खाली किये जाने हेतु नियमों को बनाया होगा।

भारत सरकार द्वारा समस्त रिक्त आवासों को ARHCs में 08.02.2021 तक परिवर्तित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त दो मॉडल में से जो आपके निकाय को उपयुक्त लगे, उक्त


माडल अनुसार रिक्त आवासों को ARHC में आवंटित करने की कार्यवाही करते हुए सूचना [arhcspmayuk@gmail.com](mailto:arhcspmayuk@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान आपेक्षित है।

भवदीय

(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक / मिशन निदेशक  
एच०एफ०ए०।

दिनांक व पत्रांक तदैव  
प्रतिलिपि -

1. सचिव, शहरी विकास विभाग को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उद्यमसिंह नगर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास (शहरी) अंतर्गत कार्यरत् सी०ए०टी०सी० को इस निर्देश के साथ की आपनी आवंटित निकायों में समन्वय कर भवनों को Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) में परिवर्तित कराते हुए साप्ताहिक प्रगति से निदेशालय को पर ईमेल [arhcspmayuk@gmail.com](mailto:arhcspmayuk@gmail.com) पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

  
(विनोद कुमार सुमन)  
निदेशक / मिशन निदेशक  
एच०एफ०ए०।

# उत्तराखण्ड सरकार

## नगर निगम देहरादून

### विस्तृत आगणन

कार्य का नाम :- JNNURM के उपमिशन BSUP योजनान्तर्गत निर्मित रामनगर मलिन बस्ती स्थित फ्लैटों के मरम्मत/ अनुरक्षण कार्य ।

मद का नाम :- JNNURM के उपमिशन BSUP योजनान्तर्गत ।

लागत :- रु. 23,08,825.00

वित्तीय वर्ष :- 2020-2021

## प्रतिवेदन

**कार्य का नाम:-** जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपमिशन बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत रामनगर मलिन बस्ती में निर्मित आवासीय भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य ।

उपरोक्त विषयक आंगणन शहरी विकास निदेशालय के पत्र दि0 03.02.2021 के क्रम में उप नगर आयुक्त के कार्यालय पत्रांक सं0-2405/ए.आर.एच.सी.एस./2021 दि0 23.02.2021 के क्रम में तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपमिशन बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत रामनगर मलिन बस्ती में रिक्त पड़े 70 आवासों जिनको Affordable Rental Housing Complex में परिवर्तित किया जाना है। वर्तमान परिपेक्ष्य में आवासीय परिसर की मरम्मत आदि कार्यों को निम्नानुसार करवाया जाना आवश्यक है।

1. भवनों में क्षतिग्रस्त दीवारों का प्लास्टर का कार्य।
2. क्षतिग्रस्त दरवाजे, खिड़कियों एवं क्षतिग्रस्त शीशे तथा लोहे की ग्रिल आदि लगाने का कार्य
3. आवासीय ब्लॉकों की रंगाई-पुताई एवं पेंट आदि कार्य
4. भवनों में पेयजल, प्रकाश एवं सैनेट्री कार्यों की मरम्मत आदि कार्य
5. आंतरिक मार्ग, नालियों आदि की मरम्मत का कार्य

(1) सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय/लो0नि0वि0 की विशिष्टियों आधार पर आंगणन में दिये गये मदों के अनुसार सम्पादित किये जाने हैं।

(2) आंगणन में ली गयी सभी दरें डी0एस0आर0 2018 के आधार पर ली गयी है, जिन मदों की दरों का उल्लेख डी0एस0आर0 में नहीं है, उन्हें बाजार की न्यूनतम दरों के आधार पर दर विश्लेषण कर दरें तैयार की गयी

अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त विषयक आंगणन रू। 23,08,000/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित।

अवर अधियक्ता

सहायक अधियक्ता  
नगर निगम देहरीकून।

अधिशाली अधियक्ता

**ii. Operation and Maintenance of ARHCs**

a) Regular Operation & Maintenance (O&M), repair, operation etc. of ARHC shall be done by the Concessionaire as per the standard practice followed for housing and infrastructure projects. Concessionaire shall ensure that the complexes remain in good condition.

b) O & M may include the following components:

<b>Component</b>	<b>Details of work required</b>
<b>1. Preventive Maintenance</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cleanliness of roofs, inlet of rain water pipes, Khurra, Chhajja/sunshade top, outlet of rain water pipes, plinth protection and drains minimum twice a year and particularly before monsoon.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cracks on gola and top of parapet</li> <li>b. Cleanliness and waterproofing of mumty roof</li> <li>c. Leakage from terrace tanks</li> </ol> </li> <li>2. Damage of water proofing due to installation of various services on roof like Dish antenna, solar panels, etc or weed/vegetation.</li> <li>3. Cracks on grit plaster, spilling of concrete, cladding stone coming out of substrate etc</li> <li>4. Leakages/seepages</li> <li>5. Rusting of GI pipes and fittings showing seepage</li> <li>6. Shafts for the leakage/seepage</li> <li>7. Sagging false ceiling</li> <li>8. Termite affected areas and wooden members</li> <li>9. The cleaning of manholes and sewer line and checking for rain water getting mixed in sewer lines.</li> <li>10. Damaged cables &amp; other abandoned service lines</li> <li>11. Electrical systems like main boards etc. should be checked annually.</li> <li>12. Fire services particularly during hot weather and assessment of electric load due to additional services installed</li> <li>13. Whether unprotected heaters in use likely to cause fire inside</li> <li>14. Annual Maintenance</li> </ol>
<b>2. Day to Day maintenance:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Removing Chokage of drainage pipes,</li> <li>b) Manholes, restoration of water supply,</li> <li>c) Repairs to faulty switches,</li> <li>d) Watering of plants,</li> <li>e) Lawn mowing, hedge cutting,</li> <li>f) Street Sweeping</li> </ol>
<b>3. Annual Repair and Maintenance</b>	Annual maintenance including White washing, Colour washing, Distempering, painting etc.

**NOTE:** Above details are not exhaustive. However, State/UT/ULBs/Parasatals may include or exclude any work as per project requirement.



Project details :

Regarding submission of Utilization Certification (UC) for Ramnagar Malin Basti, Phase-1 Housing & Basic Civic amenities Project running under BSUP-JNNURM.

Sl.No	Item	details
1	Name of the state Ut	Uttarakhand
2	Name of the city	Dehradun
3	Project location	Ramnagar Malin Basti
4	<b>Physical details</b>	
4.1	No of Blocks	5
4.2	No of Floors in each Block	[G+3]×4, [G+2]×1
4.3	No of houses in each Block	16×04, 01×06 Total-70Unit
4.4	Area of DU(in sqm)	a. Carpet Area----25.01 Sqm b. Builtup Area----33.89 Sqm
5	<b>Physical status of infratructure</b>	<b>Sratus</b>
5.1	Water supply	Yes/Tubewell
5.2	sewerage	Yes/Septic tank
5.3	Road	Yes
5.4	Storm water Drain	Yes
5.5	External Electrification	Yes
5.6	Solid waste Management	Yes By nagar nigam dehradun
5.7	Any other specify	
6	<b>Housing details</b>	
6.1	No of vacant Houses proposed for ARHC	70
6.2	No of vacant Houses need for Repair/Retrofitting(list out items) if needed	70
6.2.1	Plaster	Yes
6.2.2	painting	Yes
6.2.3	Doors/windows	Yes
6.2.4	Plumbing/Hardware/Sanitary	Yes
6.2.5	Electricity	Yes
6.2.6	Flooring/Tiling	
6.2.7	Any other specify	
7	<b>Infrastructure details</b>	
7.1	<b>Internal infrastructure-new/gap filling</b>	
7.1.1	Road	No
7.1.2	Drainage	No
7.1.3	Electricity	No
7.1.4	Storm water Drains	No
7.1.5	Any other specify	
7.2	<b>Social Infrastructure-new/gap filling</b>	
7.2.1	Health center	No
7.2.2	Anganwadi	No
7.2.3	Creche	No
7.2.4	Community centre	Yes
7.2.5	Any other specify(if needed)	
7.3	<b>External Infrastructure and its connectivity with internal Infrastructure</b>	
7.3.1	Water supply	Yes
7.3.2	sewerage	Yes
7.3.3	Road	Yes
7.3.4	Storm water Drainage	Yes
7.3.5	External Electrification	Yes
7.3.6	Solid waste Management	Yes
7.3.7	Any other specify(if needed)	Yes

4

AR

रामनगर बी०एस०यू०पी० अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए०आर०एच०सी०)  
संस्थानों (व्यापार संघ, औद्योगिक संघ, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान) किफायती आवास किराया  
पर देने हेतु आवेदन प्रारूप

1. योजना का नाम – रामनगर बी०एस०यू०पी० अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स	
2. आवेदन क्रम संख्या –	
3. संस्थान का नाम (प्रमाणिक दस्तावेज सहित)	
4. संस्थान का पंजीकरण संख्या (संलग्न प्रपत्र)	
5. पैनकार्ड संख्या (संलग्न)	
6. संस्थान का प्रकार एवं उद्देश्य	
7. संस्थान का नगर निकाय क्षेत्र में संचालित का वर्ष एवं माह	
8. संस्थान के अधिकृत अधिकारी का नाम	श्री / श्रीमती / सुश्री –
9. पदनाम	
10. मोबाइल नम्बर	
11. कार्यालय दूरभाष संख्या	
12. ई-मेल आई०डी	
13. संस्थान संचालन का स्थान	
14. वार्ड का नाम एवं न०- (वर्तमान में संस्थान संचालित हैं)	
15. एरिया का नाम तथा नगर निकाय तक दूरी	
16. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित	
17. संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की संख्या	महिला – पुरुष-
18. संस्थान द्वारा प्रति आवास अनुमानित किराया (दो कमरे का सेट) कार्पेट एरिया – 25.01 वर्ग मीटर बिल्डप एरिया – 33.89 वर्ग मीटर	

रामनगर बी0एस0यू0पी0 अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0)  
संस्थानों (व्यापार संघ, औद्योगिक संघ, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान) किफायती आवास किराया  
पर देने हेतु आवेदन प्रारूप

1. योजना का नाम – रामनगर बी0एस0यू0पी0 अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स	
2. आवेदन क्रम संख्या –	
3. संस्थान का नाम (प्रमाणिक दस्तावेज सहित)	
4. संस्थान का पंजीकरण संख्या (संलग्न प्रपत्र)	
5. पैनकार्ड संख्या (संलग्न)	
6. संस्थान का प्रकार एवं उद्देश्य	
7. संस्थान का नगर निकाय क्षेत्र में संचालित का वर्ष एवं माह	
8. संस्थान के अधिकृत अधिकारी का नाम	श्री / श्रीमती / सुश्री –
9. पदनाम	
10. मोबाइल नम्बर	
11. कार्यालय दूरभाष संख्या	
12. ई-मेल आई0डी	
13. संस्थान संचालन का स्थान	
14. वार्ड का नाम एवं न0- (वर्तमान में संस्थान संचालित हैं)	
15. एरिया का नाम तथा नगर निकाय तक दूरी	
16. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित	
17. संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की संख्या	महिला – पुरुष-
18. संस्थान द्वारा प्रति आवास अनुमानित किराया (दो कमरे का सेट) कार्पेट एरिया – 25.01 वर्ग मीटर बिल्डप एरिया – 33.89 वर्ग मीटर	

19. संस्थान द्वारा कितने वर्ष हेतु आवास किराया पर प्रस्तावित	
20. निर्धारित अग्रिम किराया एक माह हेतु सहमति	
21. संलग्नक प्रपत्र	1. 2. 3. 4. 5. 6.

नोट - संस्थान द्वारा आवेदन फार्म के साथ उपरोक्तानुसार स्व-हस्ताक्षरित सम्बन्धित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

संस्थान के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम -  
पदनाम -  
पता-  
मोबाइल न0-

## शपथ पत्र (रू010 के स्टाम्प पेपर पर)

### घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री.....पदनाम.....संस्थान  
का वर्तमान कार्यालय पता.....संस्थान की ओर से घोषणा  
करती/करता हूँ कि संस्थान नगर निकाय देहरादून क्षेत्रान्तर्गत .....वर्ष.....माह से तथा उद्देश्य.  
.....से संचालित है। संस्थान में जो कार्मिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है उनके  
कार्य स्थल के समीप आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारा संस्थान प्रतिबद्ध है। कार्मिकों की  
संख्या ज्यादा होने की स्थिति में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय सुविधा नगर निकाय को  
विश्वास में लेकर किया जायेगा। संस्थान द्वारा अनुबंध की सभी नियमों तथा शर्तों का पूरा पालन किया  
जायेगा। संस्थान द्वारा आवासीय इकाईयों का उपयोग केवल आवासीय परिसर के रूप में किया जायेगा।  
अनुबंध के अनुसार निर्धारित समयावधि में संस्थान द्वारा आवास को खाली कर दिया जायेगा। प्रति  
आवास किराया तय समय पर नगर निकाय द्वारा दिये गये खाता संख्या में जमा कर दिया आयेगा।  
निश्चित समयावधि के उपरांत संस्थान द्वारा आवासीय परिसर को अनुबंध के साथ संलग्न संघानों की  
सूची अनुसार बिना नुकसान किये नगर निकाय को हस्तांतरण कर लिया जायेगा। संस्थान द्वारा  
आवासीय परिसर में अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जायेगी। संस्थान द्वारा कूड़े प्रबन्धन में सहयोग  
करते हुये अपने कार्मिकों को कूड़े को पृथक्कीकरण कर नगर निगम के डोर-टू-डोर वाहन को देने हेतु  
प्रेरित करेंगे। इसके अतिरिक्त कूड़ा नदी एवं अन्य खुले स्थानों पर नहीं डाला जायेगा। संस्थान द्वारा  
विद्युत एवं पानी का बिल अलग से उपयोग के आधार पर स-समय देय होगा। संस्थान आवास के  
संचालन एवं रखरखाव का भली - भौति रूप से करने पर सहमति प्रदान करता हूँ। संस्थान द्वारा  
आवासीय परिसर की पर्यावरणीय स्वच्छता तथा सुंदरता के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेगा।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
संस्थान का नाम.....  
पदनाम.....  
पता .....  
मोहर .....

निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया

रामनगर बी0एस0यू0पी0 अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0)  
शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए सुविधा जनक रहन - सहन  
किफायती आवास किराया पर देने हेतु आवेदन प्रारूप

आवेदन कर्ता का फोटो  
स्वयं सत्यापित

1. योजना का नाम -
2. आवेदन क्रम संख्या -

3. आवेदन कर्ता का नगर क्षेत्र में रहने का प्रयोजन तथा निवास करने की तिथि (प्रमाणिक दस्तावेज सहित)	
4. नगर निगम क्षेत्र में रहने की सम्भावित समयावधि (माह/वर्ष)	

5. आवेदक का नाम -	श्री/श्रीमती/सुश्री -
-------------------	-----------------------

6. आवेदक के पिता/पति/पत्नी का नाम	
7. आयु	
8. लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेण्डर)	
9. परिवार में सदस्यों की संख्या	महिला - पुरुष -
10. वैवाहिक स्तर	
11. व्यवसाय/शिक्षा ग्रहण	
12. व्यवसाय का स्थान अथवा जिस संस्थान में नौकरी/शिक्षा ग्रहण का उल्लेख करना	
13. स्थानीय संदर्भ देने वाले व्यक्ति का नाम, पत्ता व सम्पर्क सूत्र	
14. वर्तमान में निवास करने की स्थिति (किराया/अन्य संलग्नक किरायानामा/दस्तावेज )	

15. वार्ड का नाम एवं न0- (जिसमें वर्तमान में निवासरत हैं)	
16. एरिया का नाम -	
17. यदि मलिन है तो उसका नाम -	
18. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित -	
19. स्थायी पता पिन कोड सहित -	

20. आपातकालीन सम्पर्क सूत्र (व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल न०)	
21. श्रेणी(सा० / अ०जा० / अ०ज०जा० / ओ०बी०सी० / अन्य)	
22. दिव्यांग (यदि लागू तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
23. वरिष्ठ नागरिक हैं तो अंकित करें	
24. वार्षिक पारिवारिक आय समस्त स्रोतों को मिलाकर	
25. पैनकार्ड	
26. राशन कार्ड न०	
27. आधार न०	
28. मोबाइल न०	
29. संलग्नक प्रपत्र	1. 2. 3. 4. 5. 6.

नोट - आवेदक द्वारा आवेदन फार्म के साथ उपरोक्तानुसार स्व-हस्ताक्षरित सम्बन्धित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम -  
पत्ता-  
मोबाइल न०-

## शपथ पत्र (रू010 के स्टाम्प पेपर पर)

### घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी.....वर्तमान निवासी.  
.....घोषणा करती/करता हूँ कि नगर निकाय देहरादून क्षेत्रान्तर्गत  
विगत .....वर्ष.....माह से निवासरत हूँ। शपथ कर्ता/कर्ती आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है।  
मेरी तथा मेरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है। मैं नगर निकाय द्वारा निर्धारित किराया का  
समय से भुगतान करूंगा/करूंगी तथा अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।  
सम्बन्धित नियम व शर्तों का पालन न करने की स्थिति में विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर मुझे  
कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय में मैं स्वयं आवास को खाली कर  
दूंगा/दूँगी। आवास किराया तय समय के लिए है उसके उपरांत मेरे द्वारा आवास को बिना नुकसान  
किये खाली कर दिया जायेगा। मेरे द्वारा आवास पर अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जायेंगी तथा  
आवास के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान को अपने व्यक्तिगत हित में उपयोग में नहीं किया जायेगा। मेरे  
द्वारा कुड़े प्रबन्धन में सहयोग करते हुये अपने आवास के कूड़े को पृथक्कीकरण कर नगर निगम के  
डोर-टू-डोर वाहन को दूंगा/दूँगी। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा कूड़ा नदी एवं अन्य खुले स्थानों पर नहीं  
डाला जायेगा। विद्युत तथा पानी की बचत करने हेतु मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा/रहूँगी। मैं स्वयं तथा मेरे  
परिवार का कोई भी सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि में संलिप्त नहीं है। साथ ही मैं यह भी वचन देता/देती  
हूँ कि कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा/करूंगी जिससे वहां रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष या  
समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे। मैं और मेरे परिवार आवासीय परिसर की पर्यावरणीय स्वच्छता तथा  
सुंदरता के लिए हमेशा वचनबद्ध रहेगा।

नाम.....  
हस्ताक्षर .....  
पता.....  
.....  
.....  
मोबाइल न0.....